न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी— ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या : 24/2025
निर्णय दिनांक : 30.04.2025
GCMS NO : 2025/69

हड़माना राम बांसुड़ा पुत्र मेघा राम बांसुड़ा जाति जाट निवासी ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

..............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू

..............अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :—

1. प्रार्थी अधिवक्ता मोहनलाल बिरसु उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग—उपभोग के खेत खाता संख्या 521 के खसरा संख्या 200 तादादी 1.2139 हैक्टेयर, खसरा संख्या 264 तादादी 2.2002 हैक्टेयर, खसरा संख्या 769/265 तादादी 1.0242 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल तादादी 4.4383 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 61 के खसरा संख्या 202 तादादी 9.0032 हैक्टेयर, खसरा संख्या 207 तादादी 4.8303 हैक्टेयर कल किता 2 कुल तादादी 13.8335 हैक्टेयर वाके रोही मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिसे प्रार्थना—पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 521 के खसरा संख्या 200 तादादी 1.2139 हैक्टेयर, खसरा संख्या 264 तादादी 2.2002 हैक्टेयर, खसरा संख्या 769/265 तादादी 1. 0242 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल तादादी 4.4383 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम हड़मानाराम पुत्र मेघाराम दर्ज है व खेत खाता संख्या 61 के खसरा संख्या 202 तादादी 9.0032 हैक्टेयर, खसरा संख्या 207 तादादी 4. 8303 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 13.8335 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र मेघाराम जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम हड़माना राम बांसुड़ा पुत्र मेघा राम बांसुड़ा है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम मुन्दड़ा में प्रार्थी का नाम हड़मानाराम पुत्र मेघाराम व हनुमान पुत्र मेघाराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम हड़माना राम बांसुड़ा पुत्र मेघाराम बांसुड़ा है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हड़माना राम बांसुड़ा पुत्र मेघाराम बांसुड़ा किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आयकर

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही तथा वास्तविक नाम हड़माना राम बांसुड़ा पुत्र मेघा राम बांसुड़ा ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 521 के खसरा संख्या 200 तादादी 1.2139 हैक्टेयर, खसरा संख्या 264 तादादी 2.2002 हैक्टेयर, खसरा संख्या 769/265 तादादी 1. 0242 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल तादादी 4.4383 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 61 के खसरा संख्या 202 तादादी 9.0032 हैक्टेयर, खसरा संख्या 207 तादादी 4.8303 हैक्टेयर कल किता 2 कुल तादादी 13.8335 हैक्टेयर वाके रोही मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में दर्ज हड़मानाराम पुत्र मेघाराम व हनुमान पुत्र मेघाराम निवासी मुन्दड़ाखातेदार के स्थान पर हड़माना राम बांसुड़ा पुत्र मेघाराम बांसुड़ा जाति जाट निवासी मुन्दड़ा खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्राकिंत एवं हस्ताक्षरित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)